



बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 404

परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

दिनांक ..... को सदन में उपस्थापित ।

विकास (अपलॉड)  
कृपया अविलंब  
श्रीर  
13/09/17

## विषय-सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2002-2003	
2. लोक लेखा समिति की उप समिति (2) का गठन	क
3. महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	ख
4. सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	ग
5. प्राक्कथन	घ
6. प्रतिवेदन	च
7. परिशिष्ट	1-67
	छ

ख

लोक लेखा समिति की उप-समिति (2) का गठन वर्ष 2002-2003

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०

संयोजक

2. श्री मुर्नश्वर चौधरी, स० वि० स०

सदस्यगण

3. श्री रामचन्द्र राय, स० वि० स०
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स० वि० स०
5. श्री पी०के० सिन्हा, स० वि० प०

## महालेखाकार कार्यालय

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना ।
2. श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, बिहार, पटना ।
3. श्रीमति विनीता मिश्र, उप महालेखाकार, बिहार, पटना ।
4. श्री जटा शंकर झा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री रणवीर प्रसाद, लेखा परीक्षा अधिकार, पटना ।
6. श्री सतीश चन्द्र झा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
9. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षा, पटना ।

## वित्त विभाग

1. श्री यू०एन०पंजियार, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री के०सी०मिश्रा, अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना ।
3. श्री रामेश्वर सिंह, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), बिहार, पटना ।
4. श्री के०पी०मंडल, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. श्री तिलक राज गौरी, बजट पदाधिकारी-सह अवर सचिव, वित्त विभाग ।

कम्प्यूटर कोषांग, वाल्मी, फुलवारीशरीफ (पटना) में जल संसाधन विभाग के प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण

1. श्री शीलभद्र सिन्हा, सिस्टम मैनेजर
2. श्री शैलेन्द्र, सहायक प्राध्यापक
3. श्री सरोज कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक

असमानता रहना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी राज्य के लिये यह शुभ लक्षण है। इस दरम्यान राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग ने समग्र रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में एक अनुकरणीय भूमिका अदा की है, जो काबिले तारीफ है। इस दरम्यान परिवहन विभाग भी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में त्वरण प्रदान कर एक अनुकरणीय छलांग लगाई है। इस कार्य में परिवहन विभाग के सचिव/आयुक्त श्री एन. के. सिन्हा की अग्रणी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। इन्होंने अपने संक्षिप्त कार्य-काल में परिवहन विभाग से संबंधित लंबित कंडिकाओं की विकरालता को सामान्य समय में आवश्यक अधिकमतर संक्षेपण कर दिखाया है। इनका यह कार्य असंभव को संभव कर दिखाने जैसा है। इनके द्वारा दिये गये कंडिकाओं का विभागीय स्पष्टीकरण और कार्यान्वयन भी उच्च स्तरीय, कारगर एवं समुचित रहा है।

यह विभाग सी. ए. जी. के वर्ष 86-87 से 99-2000 यानि कुल 14 प्रतिवेदनों से संबंधित तमाम कंडिकाओं का समुचित निष्पादन करवाने में सफल रहा है। इन कंडिकाओं के निष्पादन के दरम्यान 544 वाहन मालिकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करवाने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 17050 निलाम पत्रबाद विभिन्न न्यायालयों में दर्ज करवाया है। इनवादों में 48 करोड़ 72 लाख ₹0 राजस्व वसूली समाहित है। इन मामलों में लगभग 100-100 से अधिक मोटरयान निरीक्षकों एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी है।

सी. ए. जी. के विभिन्न कंडिकाओं का समुचित निष्पादन और कार्यान्वयन किस तरह किया जाना चाहिए - यह सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित लोक लेखा समिति द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अवलोकन करने में प्राप्त हो सकता है। समिति आशा एवं अपेक्षा करती है कि

(81)

विभिन्न आयुक्तों / सचिवों एवं मंत्रियों को इन प्रतिवेदनों को उपलब्ध कर गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए और तदनु रूप यदि हम इसी आलोक में आवश्यक कदम उठा पाते हैं तो एक हद तक राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। समिति सरकार से अपेक्षा एवं आशा करती है कि परिवहन सचिव श्री एन. के सिन्हा और जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव, श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह जैसे पदाधिकारी को वित्तीय प्रबंधन में एक दक्ष एवं कर्तव्य निष्ठ पदाधिकारी का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान करेगी अथवा अग्रतर अनुशंसा करेगी। बहुत कम समय में भारत के संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं के अनुरूप वर्तमान लोक लेखा समिति ने कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों, प्रबंधनों, छानबीन तथा इस पर अंकुश लगाने संबंधी सौपी गयी स्वतंत्र जवाबदेही को इमानदारी से निभाने का प्रयास किया है। इस कर्तव्य निर्वाहन पर समिति के तमाम सदस्य गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इस अवसर पर मैं समिति के तमाम माननीय सदस्य, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न विभागों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों-कर्मचारियों, विशेषकर कम्प्यूटर संचालकों रिपोर्टों, बाल्मी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा महालेखाकर के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ। अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह प्रतिवेदन दिनांक 29-4-03 को बाल्मी (नि० भ०) प्रवास में मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित है।

पटना  
दिनांक 29-4-03

रामदेव वर्मा,  
सभापति  
लोक लेखा समिति

50





79

वर्ष 1996-97

पृ० 1 से 13

(2)



4	5.1	<p><b>5.1. Result of Audit</b></p> <p>Test check of the records in the transport offices during the year 1996-97, revealed non-levy and short levy of motor vehicles tax, fees, penalties, fines etc. amounting to Rs. 1036.64 lakhs 4866 cases, which broadly fall under the following categories :-</p>	<p>विभिन्न वर्षों के लेखा परीक्षा को प्राप्त मुख्य तौर से इन्हीं बिन्दुओं पर केंद्रित है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नहीं लिये गये हैं अथवा कम दरों पर लिये गये हैं।</p> <p>इस प्रकार की त्रुटियों की पुनर्गति न हो इसके लिये प्रतिरोधानत्मक उपाय एवं जो त्रुटियों प्रकाश में आई हैं उनके परिमार्जन के उपाय दोनों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।</p> <p>पूर्व में दायर नीलाम पत्र वादों को छोड़ कर इस डाटा बेस में बांणित किये जाने वाले सभी मामलों में मुख्यतः स्तर से की प्रशंगत मामलों में नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधिकाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रापित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनों पर उक्त लेखापरीक्षा की तिथि को वसुलनीय राशि के साथ साथ लेखापरीक्षा की तिथि न लेकर निलामपत्र वाद दायर किये जाने का तिथि तथा वसुलनीय राशि का जोड़न हुये नीलामपत्र वाद दायर करे एवं दायर किये गये वाद संख्या मुख्यालय को प्रेषित करें, जो कम्प्यूटर में गद्यरित कर हो जाय तथा उनका मौनद्वारा समय-समय पर समाप्त हो सकें। इस प्रक्रिया के अलावा उत्तरवर्ती बिहार के विभिन्न जिलों में दायर नीलामपत्र वादों की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियाँ परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है जिसमें कुल 17.92 करोड़ रु. की राशि के नीलामपत्र वाद 7752 मामलों में दायर किये जाने की सूचना सन्निहित है। चूंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया से लेखापरीक्षा में पाया जाने वाली अधिकांश त्रुटियों का भाविध्य में निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है।</p> <p>भाविध्य में करो अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरें गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले में बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निगम हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अर्वाच्य कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलों को कम्प्यूटीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पांच जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ और भागलपुर आदि की</p>	<p>भाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों में दि. 1/10/97 तक सुधारत्मक उपायों के अंतर्गत संचालन के लिए इस कठिनाई के निवारण के लिए कार्य में निष्पादित है।</p> <p>10/10/97</p>
---	-----	---	---	---



Darbhanga, Gaya, Giridih, Godda, Gopalganj, Huzaribaga, Jamshedpur, Kailhar, Lohardaga, Madhepura, Madhubani, Muzaffarpur, Nawadah, Patna, Ranchi, Samastipur and Sahebganj) Transport Offices (between May 1996 and February 1997), it was noticed that there was non-levy/short realization of road tax and additional motor vehicles tax in respect of 705 vehicles amounting to Rs. 25.51 lakhs (between July 1982 and February 1997) due to application of incorrect rates, non-realisation of extra tax, vehicle not paying taxes but involved in road accident, irregular renewal of certificate of fitness, issue of duplicate certificate of registration and non-realisation of installments of arrears etc.

On this complaint pointed out (between May 1996 and February 1997) the District Transport Officers (Darbhanga and Sahebganj) notified (between September 1997 and November 1997) that in respect of 252 vehicles Rs. 2.32 lakh was recovered in respect of 252 vehicles. Duplicate cases were filed and demand notice was issued against one vehicle owner. Reply in other cases has not been received (January 1998)

The above cases were reported to Government (between January and April 1997) their reply has not been received (January 1998)

वाहनों से बकाए की वसूली की जाये। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं का अनुपालन ही नहीं बल्कि सभी कार प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कार डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य में ऐस 18,216 मामले प्रकारा में आए जिनमें कुल 29.62 करोड़ रु. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलों में संबंधित सभी पदाधिकारियों को सख्त अधिव्ययन चलाकर वसूली का निर्देश दिया हो गया। मुख्यतया धार से भी संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में कतिपय गिरफ्तार कार्य आने पर यह प्रकारा में प्रारंभ कि प्रत्येक नाम पर कार वाहन को लिखाया प्रमाण का अपराधिक घडघर कर कर एवं अतिरिक्त धर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे मामलों में प्रथमकी कार करने पर डिस्ट्रि भी दिया गया। मुख्यालय स्तर से 544 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है। वतीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतएव प्रायः सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरुद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधान जारी है।

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह में आयोजित हस्तगतता समीक्षा बैठकों में उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है कि कार प्रमादी वाहनों स्वामियों से बकाए की वसूली हेतु नोलापत्र दायर की तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दे। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नोलापत्र पत्र-3 एवं 4 में पूरा जरीय प्रमाण प्रदान सम्बन्ध जिलों को प्रेषित करने पर ध्यान देना है। पत्र-3 एवं 4 के माध्यम से भी पत्र-3059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलों को त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। अबत 7752 वाहनों पर नोलापत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रु. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों में नोलापत्र दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

5.3 Non-realisation of taxes from vehicles involved in exemption/surrender-

The instructions issued (January 1996) by the department, surrender of documents is to be treated as

इस कंडिका के संबंध में मात्र उन्ही जिलों के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही

उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध

automatically cancelled if not withdrawn beyond a period of three months and taxed accordingly. Under the Bihar Motor Vehicles of tax unless he has furnished an undertaking for non-use of the vehicle \*\*\*\*\*therein the period of non-use and the parking place of the vehicle During the \*\*\*\*\* any vehicle not found at the specified parking place shall be deemed to have been \*\*\*\*\* through this period without payment of tax. The owner is also required to pay tax up to the date of surrendering the documents. All undertaking unless extended shall be valid up to six months.

During the course of audit of 15 District Transport Offices (Bhagalpur, Chapra, Daltonganj, Dhanbad, Deoghar, Darbhanga, Giridih, Hazaribagh, Jamshedpur, Madhubani, Muzaaffarpur, Madhepura, Patna, Ranchi and Siwan.) . It was noticed (between June 1996 and February 1997) that in respect of 115 vehicles then was non-payment of up-to-date tax at the time of surrendering documents. were surrendered but vehicles were not found in the parking places, The \*\*\*\*\* declarations for extension beyond six months were not withdrawn exceeding three months \*\*\* their owners though the exemption petitions were rejected by the State Transport Commissioner, Bihar. This resulted in non-realisation of taxes amounting to Rs. 65.42 lakhs (between January 1988 and February 1997).

On this pointed out (between June 1996 and February 1997) the concerned District Transport Officers (Dhanbad, Bhagalpur and Daltonganj) stated (between September 1997 and November 1997) that Rs 0.39 lakah was realized in respect of 3 vehicles, certificate cases were instituted in case of 14 vehicles and demand notices were issued against 10 vehicle owners In other cases, no reply has been receive (January 1998).

The above cases were reported to Government in January 1997, their reply has not been received (January 1998)

है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलों के संबंध में अब झारखंड के अधिकारियों द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है।

में विभाग की गई कार्रवाई से संपत्ति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

वाहनो स्वामियो द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनो का प्रत्येपण दिखा कर करो का भुगतान नही करना और वास्तव मे वाहनो को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वेसे सघात वाहन मालिको के विरुद्ध धोखाधडी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है । इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियो का विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जिन जिलो 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलो मे वाहन प्रत्येपण के सभी मामलो की समीक्षा करे और जहा भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे व अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित हो अथवा

नही, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत कराये ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियो को विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04. 2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियो द्वारा वाहन प्रत्येपण के वेसे मामलो को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजे ।

उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियो को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षको द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्तव्योल्घन किया गया है उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अबिलंब भेजे । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है।

जहां तक वेसे वाहन स्वामियो का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करो का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलो मे शामिल न हो ।

		<p>वस्तुतः बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 में कुछ वैधानिक प्रावधान ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद में भी प्रत्येक प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था। बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमें वाहनों का प्रत्येक तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्येक तिथिगत किया जाय। राज्य सरकार का यह निर्देश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के मान्य रहने की स्थिति में ही वाहन के प्रत्येक का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रत्येक की अवधि के लिए करों में छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियों की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है।</p> <p>इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।</p>	
5.4	<p><b>Lack of control over collection of taxes</b></p> <p>Under the Bihar and Orissa Motor vehicles Taxation Act. 1930, as added from time to time and the Rules made thereunder. Tax in respect of a vehicle payable annually or quarterly within 15 days from the commencement of the year on inter, as the case may be Under the Motor Vehicles Act, 1939 (replaced by the Act 1988), if owner of a motor Vehicle ceases to reside or have his place of business at address recorded in the certificate of registration of vehicle changes, he shall within my days of such change of address, intimate his new address to the concerned signal registering authority and if the new address is within the jurisdiction of other registering authority, to the other registering authority. Tax can be paid at any in the state. In case payment of tax in respect of any vehicle is made in an office than the one in which it was registered the authority receiving the tax is required such information shall note the change of address in the concerned register and take for realization of arrears of tax, if any. According to executive instructions by the State Transport Commissioner in August 1985 and reiterated in demand notices against the defaulters and institute certificate proceedings for realisation of taxes as arrears of land revenue.</p> <p>During the course of audit of 8 District Transport</p>	<p>राज्य विभाजन के उपरान्त इस राज्य में अबतक निर्दिष्ट सभी वाहनों में से जिनके विरुद्ध किसी प्रकार के कर अथवा शुल्क का बकाया है, मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत डाटा-बेस तैयार किया गया है। मुख्यालय स्तर से मांग नोटिस भी दिए गए हैं तथा मांग नोटिस के फलफल के आधार पर यथा आवश्यक नीलाम पत्र वार दायर करने/ प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई भी की गई है। उक्त कृत कार्रवाई का विस्तृत विवरण उपर्युक्त कड़िका में दिया गया है।</p> <p>मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठकों में भी कर प्रमादी वाहनों की अद्यतन सूची, मांग नोटिस निर्गत करने की स्थिति, नीलामपत्र वाद दर्ज करने एवं निष्पादन की स्थिति, प्राथमिकी दायर करने की प्रगति आदि के आधार पर यथोचित निर्देश दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप केन्द्रीय रूप से कर संग्रह एवं बकाए की वसूली पर प्रत्येक</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में उचित कड़िका की अद्यतन बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।</p> <p><i>10/11/07</i></p>





	1998).		<p>गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम में कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश में आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निर्बंधित कराने का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे मामलों में प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया।</p> <p>मुख्यालय स्तर से 544 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरुद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते हैं तथा आगे अनुसंधान जारी है।</p> <p>परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह में आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठकों में उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनों स्वामियों से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पत्र-3 एवं 4 में पूरा व्योरा अंकित कर संबंधित जिलों को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पंख से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए हैं, 17.11 लाख रु. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों में नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।</p>	<p style="text-align: right;">(7)</p>
5.7	Non-realisation of full arrear dues/non-acceptance of cases under certificate cases	<p>The Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994, envisages that arrears of tax payable in respect of a motor vehicle is recoverable as arrears of land revenue According to the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914, Certificate Officer on receipt of written requisition in the prescribed form from Requiring Officer (District Transport Officer) and after being satisfied that the demand is recoverable shall cause certificate to be filed in his office. This Act also empowers the Certificate Officer to cancel such certificates if he finds that the certificate holder (District Transport Officer) is not reasonably diligent in pursuing the cases. As per instructions of the Board of Revenue, the Requiring Officer and Certificate Officer are jointly responsible for timely disposal of certificate cases and are bound</p>	<p>लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन की उपर्युक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन की आपत्ति कंडिकाएँ मुख्यतः करों की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित हैं बकाए कर की वसूली के बिना चालू कर स्वीकार करना संबंधित पदाधिकारी की कर्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है तथा ऐसे पदाधिकारियों को जिम्हिल कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी कार्यालयों से अबतक पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पदस्थापन की अवधि के आधार पर जिम्मेवारी निर्धारित करने की</p>	<p>गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान कर के अंदर पूर्ण कर एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे। इसी प्रकार राजस्व पंख के अंतर्गत भी प्रति माह अनुसंधान लागू किया जायगी।</p>



After eleven years in 1994, the vehicle came in the same office realizing the tax from April 1994 to September 1996. The vehicle owner neither obtained no objection certificate' (N.O.C.) while going to Nagaland nor produced the same at the time of re-registration. The vehicle did not pay tax in Nagaland during the above period. Thus, irregular assignment of two different registration marks to the same vehicle the owner evaded payment of tax amounting to Rs. 89,681 (between April 1983 and December 1993).

The matter was reported to the department (October 1996) and to the Government in April 1997, their replies have not been received (January 1998).

(b) In the District Transport Office, Ranchi, it was noticed (September 1996) that in respect of 5 transport vehicles, registration marks were cancelled recommendation of the Motor Vehicle Inspector that the vehicles were totally damaged and not road worthy during the period between June 1994 and September 1994. Scrutiny of records, however, revealed that vehicles having same engine and chassis number and declared once not road worthy were re-registered in August 1996 and also assigned new registration marks which was irregular. Thus by canceling the registration marks and re-registering the same vehicles, taxes amounting to Rs. 1.24 lakhs remained un-realised during the period between September 1994 and August 1996.

On this being pointed out (September 1996), the District Transport Officer, Ranchi stated (September 1996) that suitable action was being taken for realization of taxes.

The cases were reported to Government in April 1997, then reply has not been received (January 1998).

(c) During the course of audit of two District Transport Offices (Muzaffarpur and Ranchi), it was noticed between September and December 1996 the certificates of registration in respect of two vehicles were cancelled by the registering authorities during the period between November 1993 and March 1994 without realising the taxes due against the vehicles amounting to Rs. 1.09 lakhs.

This cases were reported to Government in April 1997, their replies have not been received (January 1998).

1970 से 1983 तक अलग-अलग पत्रों में जिला में वाहन प्रत्येक के सभी मामलों की जांच की गई और जहाँ भी इस प्रकार की अव्यवस्था दृष्टिगत की गई है, उसे अंकुश प्रदान किया जा रहा है अथवा

नहीं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दाखल कर प्राथमिकी संख्या में मुख्यालय को अवगत कराया है।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों का विभागीय पत्रांक 566 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्येक के जैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही चकाया था, उनके पास तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजे।

उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलों में कर्तव्योत्पन्न किया गया है उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अभिलेख भेजे। यह निर्देश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है।

जहाँ तक वेसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफो अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नहीं किया गया है, उनके मामले में भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दाखल करने का निर्देश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10304 मामलों में शामिल न हो।

वस्तुतः बिहार एवं उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 में कुछ वैधानिक प्रावधान ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद में भी प्रत्येक प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था। बिहार एवं उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करने हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1991 अधिनियमित किया जा चुका है उसमें वाहनों का प्रत्येक तथा विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्येक विधिवत किया जाय। राज्य सरकार का यह निर्देश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के माध्यम से वाहन की स्थिति में ही वाहन के प्रत्येक का आवेदन

169

विचारार्थ स्वीकृत किया जाय. अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रत्येक को अवधि के लिए करों में छूट दिये जाने के मामले पर विचार हेतु विलीय शक्तियों की अधिसीमाएँ, करागण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन अधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है।

इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।

5.10 Short realization of revenue due to misclassification of vehicle

Under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, a vehicle owned by a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students or staff of the, educational institution in connection with any of its activities, shall be treated as omnibus and shall be taxed accordingly. Under the said Act, a tractor means a motor vehicle which is not in itself constructed to carry any load whereas a semi-trailer means a trailer drawn by a motor vehicle (tractor) and so constructed that a part of it is super-imposed on and a part of its weight is borne by the drawing vehicle as defined in the Act. Further, under the provisions of the Act articulated vehicle means a motor vehicle attached with a semi-trailer. The rates of taxes are higher for semi-trailers than tractor-trailers.

(a) During the course of audit of 2 District Transport Offices (Daltonganj and Godda) between June and July 1996, it was noticed that 3 transport vehicles were not registered in the name of college, school or any educational institution, yet were treated as omnibus and road tax and additional motor vehicles tax were realized at lower rates, which resulted in short realization of tax amounting to Rs. 3.04 lakhs (between January 1988 and October 1996).

(b) During the course of audit of two District Transport Offices (Bokaro and Dhanbad) between July and August 1996, it was noticed that 12 motor vehicles (tractor-semi-trailers) misclassified at the time of registration as tractor trailer combination. The misclassification led to short realization of tax amounting to Rs. 1.50 lakhs during the period falling between January 1996 and June 1996.

On this being pointed out (between June and August 1996), the District Transport Officer, Dhanbda stated (September 1997) that in respect of 2 vehicles certificate cases were filed. In other taxes, the concerned District Transport Officers stated that demand notices would be issued.

तदैव

उत्तरवती बिहार एंड  
इसके जिलों के संबंध  
में विभाग की गई  
कार्रवाई से समिति को  
छ: माह के अन्दर  
अवगत कराये।

एव  
शुभ  
गई  
को  
दर

	<p>The cases were reported to Government in February 1997, their reply has not been received (January 1998)</p>		
<p>5.11</p>	<p><b>Evasion of tax by producing false "No Objection Certificates"</b></p> <p>According to the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 , If a vehicle owner changes his place of business on residence and his new place of business or residence falls within the jurisdiction other taxing officer, he can either continue to pay tax to the original taxing officer on start the payment of tax to other taxing officer in whose jurisdiction his new place of business or residence falls. I new taxing officer shall not accept the tax until the owner presents before him a "No Objection Certificate" (N.O.C.) from the previous taxing officer in the manner and form prescribed.</p> <p>During the course of audit of records of 3 District Transport Offices (Hazaribagh, Jamshedpur and Ranchi), it was noticed between August and October 1996 that 6 N.O.Cs. issued by the D.T.Os. (Dumka, Rohas and Saharsa) were take This resulted in non-realisation of tax of Rs. 2.22 lakhs for the period from January 1988 to March 1996.</p> <p>On this being pointed out (August and October 1996), the department stated that action was being taken to realize the amount.</p> <p>The cases were reported to Government in February 1997, then reply has not been received (January 1998).</p>	<p>यह आपत्ति वैसे जिलो से संबंधित है जो अब झारखंड राज्य में पड़ते हैं, अतएव इन पर झारखंड के अधिकारियों के स्तर से समुचित कार्रवाई की जानी है।</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण के आलाक में संशोधित कंडिका को उत्तर प्रदेश बिहार के संदर्भ में निम्नांकित करती है।</p>
<p>5.12</p>	<p><b>Realisation of short tax due to incorrect determination of registered laden weight/seating capacities</b></p> <p>As per instruction issued by the State Transport Commissioner, with effect from April 1983, gross laden weight as certified by the manufacturer is taken as R.L.W. of the vehicle for realisation of tax. The seating capacity of a public service motor vehicle is to be fixed as per wheel base of the vehicle and as specified under the Bihar Motor Vehicles Rules. 1940.</p> <p>During the course of audit of 10 District Transport offices (Bhagalpur, Deoghar, Hazaribagh, Jamshedpur, Madhubani, Madhepura, Patna, Sahebganj, Samastipur and Sitamarhi). It was noticed that R.L.W. /Seating capacity in respect of 28 motor vehicles were not determined as per instruction/***** resulting in short realization of road tax and additional motor vehicles tax amounting to Rs. 2.93 lakhs.</p> <p>On this being pointed to Government in January 1997, their reply has not been received (January 1998)</p>	<p>बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में लोक सवारी गाड़ियों में बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन के व्हील बेस के आधार पर करने के स्पष्ट प्रावधान के अभाव में कई जिला परिवहन कार्यालयों में बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन स्वामी द्वारा समर्पित घोषण पत्र एवं मोटर यान निरीक्षक के प्रतिवेदन पर करने के दृष्टांत सामने आए हैं । वस्तुतः ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा बसों में बैठने की सीटों को व्यवसायिक हित एवं प्रतिस्पर्धा में अधिक आरामदायक बस बनाने, टुरिस्ट परमिट प्राप्त करने आदि के दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया तथा तदनुसृत घोषणा पत्र देने एवं मोटर यान निरीक्षक द्वारा भौतिक निरीक्षण के उपरान्त बैठान क्षमता निर्धारित करने पर निबंधन किया गया है।</p> <p>बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2002 में वाहन के व्हील बेस के आधार पर बैठान क्षमता मानते हुए कर एवं अतिरिक्त कर वसूल करने का</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण के आलाक में संशोधित इत कंडिका को उत्तर प्रदेश बिहार के संदर्भ में निम्नांकित करती हैं।</p>

5.13	<p>Non-realisation of taxes from vehicles entering Bihar under bilateral agreements</p> <p>Under bilateral agreements entered into by the State of Bihar with certain other States/Union Territories, on all taxes are required to be paid by bank drafts With effect from 1<sup>st</sup> April 1982, under the provisions of the Bihar and Orissa Motor Vehicles Taxation Act, 1930 and the Rules made thereunder, additional motor vehicles tax is also leviable *****public service motor vehicles (Transport vehicles).</p> <p>Scrutiny of the records of State Transport Authority, Bihar revealed that 3 vehicles registered in three states (Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal) entered this stated during the period between April 1996 and March 1997 The road tax and additional tax leviable amounting to Rs. 3.17 lakha were not realized in respect of those vehicles for the periods between April 1996 and March 1997.</p> <p>On this being pointed out in March 1997, the department stated that the matter would be examined and demand notices would be sent accordingly to concerned permit holder/authority of the concerned State for realization of taxes due.</p> <p>The cases were reported to Government in April 1997. their reply has not been received (January 1998).</p>	<p>प्रावधान किया गया है। यदि कोई वाहन स्वामी अपने व्यवसायिक हित में प्रतिस्पर्धा में अधिक लाभान्वित होना चाहता है तथा कम-अधिक उपरमदयक नीति को व्यवस्था करता हो तो वह अपने वाहन के आधार पर निर्धारित वसूल्य को अनुरूप ही कर एवं अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। इस स्पष्ट प्रावधान के अभाव में किसी वसूली के लिए वसूली पर जो टैक्स वहील बस के अनुरूप वोटों की संख्या पर ही देना होगा।</p> <p>पूर्व में भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्धारित नैदान क्षमता के कारण हुई राजस्व की क्षति हेतु संबंधित मोटरवाहन निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होना पड़ी है तथा ऐसे वसूली मामलों में अतिरिक्त वसूली के आधार पर वसूली कर की वसूली हेतु उपर्युक्त कठिनाई के समाधान में वाणिज्य कार्रवाई की गई है।</p>	<p>परमिट निर्गत करनेवाले राजस्वों का वाहन निर्देश रहने पर भी वसूली के लिए पर्याप्त स्थायी अथवा अस्थायी वसूली के लिए करते समय इस राज्य के वसूली के लिए विलम्ब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट वाहन स्वामी से प्राप्त करें। परमिट प्राप्त करने के लिए विलम्ब से इस राज्य का देय कर का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए विलम्ब शुल्क लिया गया है। परमिट प्राप्त होने संबंधित प्राधिकारियों को विलम्ब शुल्क के क्रम में यदि परमिट प्राप्त नहीं आते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की भांगत धारा के अन्तर्गत परमिट को अमान्य मानते हुए अर्धदंड की भी वसूली जा सकती है तो विलम्ब शुल्क में कई गुना अधिक होती है।</p>
		<p>अन्तर्राष्ट्रीय कर/ शुल्क को व्यवस्था में चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार ने स्तर पर गति परिवहन विकास परिषद की बैठकी में भी परमिट वसूली हुई तथा जोमल क्लियरिंग जैसा व्यवस्था आरंभ करने पर भी व्यवस्था में वहा के वसूली सभी राज्यों को देय कर व वसूली की राशि की शर्त प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके।</p> <p>परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कुछ बैंकों से ई-बैंकिंग के माध्यम से</p>	

			<p>विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राज्य को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता में हस्तान्तरित करने की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलंब से प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती हैं।</p>	
--	--	--	--	--

64



वर्ष 1997-98

पृ० 14 से 34

(2)

5.1

## लेखापरीक्षा के परिणाम-

वर्ष 1997-98 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 6332 मामलों में 7047.32 लाख रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदंड, जुर्माना आदि के नहीं लगाये जाने और कम लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

विभिन्न वर्षों के लेखा परीक्षा के परिणाम मुख्य तौर से इन्हीं बिन्दुओं पर केंद्रीत है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नहीं लिये गये हैं अथवा कम दरों पर लिये गये हैं।

इस प्रकार की त्रुटियों की पुनर्र्थित न हो इसके लिये प्रतिरोधानत्मक उपाय एवं जो त्रुटियाँ प्रकाश में आई हैं उनके परिमार्जन के उपाय दोनों पर ही ध्यान केंद्रीत किया गया है।

चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान की गई नमूना जाँच में वास्तविक त्रुटियों का कुछ अंश ही उजागर हो सका है, तथा प्रत्येक मामले में कोई न कोई वाहन अवश्य सन्निहित है, इस कारण यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कंडिका में वर्णित मामलों का सुजन जिन आई आर पाराओं से हो रहा है, उनका एक डाटा बेस बना दिया जाय तथा उसे यथा संभव संपूर्ण एवं अद्यतन रखने की प्रक्रिया जारी की जाय

पूर्व में दायर नीलाम पत्र वादों को छोड़ कर इस डाटा बेस में वर्णित किये जाने वाले सभी मामलों में मुख्यालय स्तर से ही प्रश्नगत मामलों में नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधियाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनों पर तत्काल लेखापरीक्षा की तिथि को वसूलनीय राशि के साथ-साथ लेखापरीक्षा की तिथि से लेकर नीलामपत्र वाद दायर किये जाने की तिथि तक वसूलनीय राशि दोनों को जोड़ते हुए नीलामपत्र वाद दायर करें तथा सूचर किन्हीं गये वाद संख्या मुख्यालय की प्रेषित करें, जो कम्प्यूटर में संधारित कर ली जाय तथा उनका मौनदरिण समय-समय पर संभव हो सके। इस प्रक्रिया के तहत अंतर्गत विभाग के विभिन्न जिलों में दायर नीलामपत्र वादों की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियों पर विशेष 'क' पर इच्छा है जिसमें कुल 27.82 करोड़ रु. की राशि के नीलामपत्र वाद 72 जिलों में

दायर किये जाने की सूचना सन्निहित है। चूंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया में लेखापरीक्षा में पायी जाने वाली अधिकतर त्रुटियों का

विभाग द्वारा आ- के आलोक में ले गये स्पष्टीकरण एवं सुधारात्मक उपायों को समिति संतोषजनक मानते हुये इस कंडिका को बिहार के जिलों के संबंध में निर्धारित करती है।

भविष्य में निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है।

भविष्य में करो अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरें गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले में बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निर्गत हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अवांछित कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पाँच जिला यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर आदि की तर्ज पर सभी जिलों को एन.आई. सी. के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराये जाने हेतु राज्य योजना मद से राशि भी प्राप्त हो चुकी है। कम्प्यूटरीकरण के कार्य संपन्न हो जाने के उपरान्त मैनुअल कलकुलेशन की त्रुटियाँ की आशंका समाप्त हो जायगी तथा कर, जुर्माना, फीस आदि न लेने अथवा कम दरों पर लेने की स्थितियाँ भी समाप्त प्रायः हो जायगी क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा ऐसी स्थिति में स्वयं ही आगे की कार्रवाई स्थगित दिया जायगा।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अनुवर्ती कंडिकाओं में यथा आवश्यक स्पष्टीकरण अंकित किया गया है।

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1	करो का नहीं लगाना तथा कम लगाया जाना	1979	496.30
2	पंजीकृत लदान-भार-बैतान क्षमता के गलत निर्धारण के फलस्वरूप कम कर लगाया जाना,	95	14.03
3	शुल्क, जुर्माना तथा अर्थदंड आरोपित नहीं होना	154	2.05
4	वर्ष 1997-98 में "0041 वाहनों पर कर" शीर्ष में जमा सरकारी राजस्व में असंगति	5	8.378.37
5	अन्य मामले	4099	6526.57

	कुल	6332	7074.32
	वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 924 मामलों में आवारा 445.18 लाख रुपये का आवनिर्धारण आदि स्वीकार किया, जिसमें 44.64 लाख रुपये से संबंधित 188 मामले 1997-98 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान प्रत्येक में आए।		
	दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले और 'राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना' पर समीक्षा प्रक्रम में 3952.58 लाख रुपये के कर-प्रभाव प्रत्येक में अन्वर्ती अधिकारों में दिए गये हैं।		
5.2 5.2 1	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना परिचय  सम्पूर्ण देश में सरकार द्वारा माल वाहनों के सुविधापूर्वक प्रचालन को प्रोत्साहित करने के अधिप्राय से भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के प्रावधानों के अन्तर्गत सितम्बर 1975 में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना चलायी। राज्यों और संघीय क्षेत्रों को पूरे भारतीय सीमा क्षेत्रों या गृह राज्य सहित कम से कम चार समीपवर्ती राज्यों में माल दुलाई हेतु सार्वजनिक माल वाहन मालिकों को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।  राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के इच्छुक परिचालकों को मोटर वाहन कर के अतिरिक्त गृह राज्य को निर्धारित प्राधिकरण शुल्क भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त वाहन प्रचालन के लिये अनुमति प्राप्त प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र को मिश्रित शुल्क भुगतान करना है। अन्य राज्यों को देय मिश्रित शुल्क जिसका पहले ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है, प्रारम्भ में गृह राज्य द्वारा पदनामिता प्राधिकारों के पक्ष में भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संग्रह किया जाता है और तत्पश्चात् संबंधित राज्य को, जब और जैसे प्राप्त होता है, प्रेषित किया जाता है।	तथ्यात्मक विवरण जिसपर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं करती है।
5.2 2	संगठनात्मक ढाँचा-  परिवहन विभाग में विधि एवं नियमों के परिपालन के लिये शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), बिहार उत्तरदायी है जिन्हें मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों से सहयोग प्राप्त होता है। कर प्रबंध के दृष्टिकोण से राज्य 13 प्रक्षेत्रों और 47 जिलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन तथा प्रबंधन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राजस्व की चोरी को रोकने के लिये राज्य में 3 जॉच चौकी और 48 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का निर्गमन तथा अन्य सहायक कार्य मार्च 1996 से क्षे.प.प्रा. द्वारा संपादित होते हैं। इसके पहले राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र राज्य परिवहन प्राधिकार (रा.प.प्रा.), बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाता था।	तथैव	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं करती है।
5.2 3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र-  अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों तथा कार्यपालक निर्देशों के अनुपालन का पता लगाने के अधिप्राय से 'राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना' पर समीक्षा की गयी। अप्रैल से अगस्त 1998 की अवधि में रा.प.आ., बिहार पटना, 8 क्षे. प. प्रा., 3 जॉच चौकी और 5 दलों के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के अभिलेखों का नमूना जॉच	तथ्यात्मक विवरण, कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं करती है।

की गई।

(I) (क) 6 क्षे.प.प्रा. द्वारा अनुज्ञापत्र समय पर निर्गत नहीं किये गये 14 से 87 प्रतिशत मामलों में 8 से 133 दिनों का विलम्ब किया गया।

(ख) अन्य राज्यों को रा.प.प्रा. द्वारा 293.63 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट अत्यन्त विलम्ब से प्रेषित किये। विलम्ब की अवधि 4 से 12 महीने की थी।

(कडिका 5.2.6. (I) और (II))

(ii) रा.प.प्रा./8 क्षे.प.प्रा. से संबंधित 2846 मामलों में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के पश्चात्पूर्ती प्राधिकरण नहीं किये गये, फलतः 923.70 लाख रुपये जिसमें 28.70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नहीं वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 68.55 लाख रुपये के बकाये का उद्ग्रहण किये बिना मामलों में प्राधिकरण नहीं किये गये, फलतः 923.70 लाख रुपये जिसमें 28.70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नहीं वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 68.55 लाख रुपये के बकाये का उद्ग्रहण किये बिना 776 मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क का उद्ग्रहण किया गया।

(कडिका 5.2.7. (क) और (घ))

(ii) रा. प. प्रा. /8 क्षे. प. प्रा. से संबंधित 2846 मामलों में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के पश्चात्पूर्ती प्राधिकरण नहीं किये गये, फलतः 923.70 लाख रुपये जिसमें 28.70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नहीं वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 98.55 लाख रुपये के बकाये का उद्ग्रहण किये बिना 776 मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क का उद्ग्रहण किया गया।

(कडिका 5.2.7. (क) और (घ))

(iii) एक जीच चौकी 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों द्वारा 14.22 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं किये गये। एक जीच चौकी द्वारा बैंक में जमा किये गये 45.35 लाख रुपये का सत्यापन आवश्यक कागजातों के अभाव में नहीं किया जा सका।

(कडिका 5.2.8. (क) (I) और (ख) (II))

(IV) देय मिश्रित शुल्क के त्वरित तथा सही उद्ग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पंजी और प्रतिवेदन/ विवरणी के रूप में अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं है।

(कडिका 5.2.9.)

(V) 1978 और 1991 के बीच की अवधि से संबंधित 941.52 लाख रुपये के 145139 काबाधित बैंक ड्राफ्ट पटना स्थित बैंकों में 1992-93 से 1997-98 के दौरान भेजे गये। विभाग ने सरकारी ठकुर राशि के जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की।

(कडिका 5.2.10. (क) (ii))

(VI) राजस्व की राशि संग्रह करनेवाले पटना स्थित 25 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में जमा राशि का आंशिक अन्तरण किया और मार्च 1998 के अंत में बैंकों द्वारा 552.22 लाख रुपये की अतिशेष राशि रोक ली गयी। बैंक के विलम्ब बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व के नहीं/कम अंतरण के कारण बैंकों

परमित निर्गत करनेवाले प्राधिकारों को यह निर्देश रहने पर भी कि अमुक दर पर स्थायी अथवा अस्थायी परमित निर्गत करते समय इस राज्य के देय कर एवं विलंब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट वाहन म्वामी से प्राप्त करें। ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें यह पाया गया है कि विलम्ब से इस राज्य को देय कर का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते समय विलंब शुल्क लिया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को विलंब शुल्क के क्रम में यदि ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की संगत धारा के अन्तर्गत परमित को अमान्य मानते हुए अर्धदंड की भी वसूली की जाती है तो विलंब शुल्क से कई गुणा अधिक होती है।

अन्तर्राज्यीय कर/ शुल्क को छावस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित परिवहन विकास परिषद् की बैठकों में भी ऐसी चर्चाएँ हुई हैं तथा जानल क्रियारिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि को शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके।

परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कुछ बैंकों से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राज्य को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता में इस्तान्तरित करने की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलंब से प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती हैं।

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कडिका को उत्तरपूर्व बिहार के संदर्भ में निष्पादित करता है।

	को अनुचित लाभ मिला। [कंडिका 5.2.10. (ख) और (ग)] (vii) 1993-94 से 1997-98 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना ने संग्रहण प्रभार के रूप में 48.34 लाख रुपये की अनियमित कटौती की। (कंडिका 5.2.11.)				
5.2.3	अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार की प्रवृत्ति परिवहन वाहन के रूप में किसी मोटर वाहन का उपयोग करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के अधीन रा. प. प्रा0/ क्षे.प. प्रा. द्वारा पाँच वर्षों के लिये अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है। निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात् उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापत्र में उल्लिखित अवधि और क्षेत्र में वाहनों के परिचालन को अधिकृत करने के लिये वार्षिक/अर्धवार्षिक प्राधिकरण प्रदान किया जाता है। राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1993-94 से 1997-98 के दौरान रा. प. प्रा0/ क्षे.प.प्रा. द्वारा निर्गत/नवीकृत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र एवं प्रदान प्राधिकरण की स्थिति निम्नवत् है :-	तथ्यात्मक विवरण जिसपर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं करती है।		
	वर्ष	निर्गत अनुज्ञापत्र की सं.	नवीकृत अनुज्ञापत्र की सं.	प्रदत्त प्राधिकार की सं.	
	1993-94	1411	अनुपलब्ध	16055	
	1994-95	1134	80	7381	
	1995-96	2120	439	12170	
	1996-97	1604	1155	10466	
	1997-98	अनुपलब्ध	761	7007	
	रा.प.प्रा. ने नवीकरण के लिये नियत अनुज्ञापत्र / प्राधिकार तथा शुल्क की देय/उद्ग्रहित राशि से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायीं।				
5.2.6	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन/ बैंक ड्राफ्ट प्रेषण में अनियमितताएँ - (i) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करने में विलम्ब विभाग द्वारा निर्गत 1996 के निर्देशानुसार आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करना है। तथापि, 6 क्षे.प.प्रा. में देखा गया कि 4 से 87 प्रतिशत मामलों में 8 से 133 दिनों का विलम्ब किया गया जिनके विवरण निम्नांकित है :-	अन्तराज्यीय कर/ शुल्क की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित परिवहन विकास परिषद् की बैठकों में भी ऐसी चर्चाएँ हुई हैं तथा जोनल क्लियरिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि की शर्त प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कुछ बैंकों से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राज्य को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता में हस्तान्तरित करने	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।		

की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलम्ब में प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती हैं।

क्षे.प.प्रा. का नाम	वर्ष	निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र की सं.	विहित सीमा उपरान्त अनुज्ञापत्र की सं.	समय के निर्गत की सं.	विलम्ब के दिनों की सं.	प्रतिशत
गया	अप्रैल 1996 से मार्च 1998	93	4		13 से 40	4.3
मुजफ्फरपुर	तथैव	350	31		8 से 84	8.9
पटना	तथैव	54	47		11 से 106	87.0
पुर्णिया	तथैव	969	45		8 से 133	4.6
राँची	तथैव	137	92		15 से 86	67.1
		601	57		10 से 84	9.5

(ii) बैंक ड्राफ्ट प्रणय में विलम्ब फरवरी 1996 में निर्गत रा.प.आ. के निर्देशानुसार अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार निर्गत करने के एक पखवारा के अन्दर राज्यों से संबंधित मिश्रित शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज देनी है। यह देखा गया कि 1995-96 से 1997-98 की अवधि में रा.प.प्रा./ क्षे.प.प्रा. से अन्य राज्यों को भुगतान 293.63 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट केवल 6 माह के लिये ही वैध होते हैं। 6 क्षे.प.प्रा. ने पटना स्थित बैंकों में जमा करने हेतु रा.प.प्रा. को 73.34 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट 4 से 12 महीने के विलम्ब में भेजा।

5.2 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण का अनवीकरण/ मिश्रित  
.7 शुल्क/अर्थदंड की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अस्थायी या विशेष अनुज्ञापत्र 5 वर्षों के लिए निर्गत करने का प्रावधान है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की वैधता एक बार में एक वर्ष में अधिक की नहीं होगी। यह प्राधिकरण एक अनवरत प्रक्रिया है जहाँ तक अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित मिश्रित शुल्क अप्रिम भुगतान करना है। निरवधि मिश्रित शुल्क भुगतान में कमी की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी को प्रत्येक वर्ष उसके भाग के लिए 1000 रुपये अथवा अपरिमित रूप में अधिक से अधिक 1000 रुपये मिश्रित शुल्क की राशि 3000 रुपये से अधिक का अनुज्ञापत्र (नवम्बर 1993) को देना।

तथैव

विभागाध्यक्ष, स्पष्टीकरण के आलाोक में पंजीति इस कठिना को उल्लेखित बिहार के सदस्यों में निर्धारित करती है।



(क) रा.प.प्रा./ श्वे.प.प्रा. (भागलपुर, दरभंगा, गया, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया और रौंजी) में मिश्रित शुल्क से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2846 मामलों में अनुज्ञापत्र की कालावधि में अक्टूबर 1993 और मार्च 1998 के बीच की अवधि के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का परवर्ती प्राधिकरण नवीकृत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 923.70 लाख रुपये का मिश्रित शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ जिसमें से 28.70 लाख रुपये गृह राज्य से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त इन मामलों में विहित दर पर अर्धदंड भी आरोप्य था।

(ख) रा.प.प्रा. में देखा गया कि सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के लिये अन्य राज्यों से उद्ग्रहणीय वार्षिक या अर्धवार्षिक मिश्रित शुल्क 462 मामलों में विहित दर से कम दर पर उद्ग्रहित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 2.39 लाख रुपये के अर्धदंड सहित 9.67 लाख रुपये के मिश्रित शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ग) 805 मामलों में सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान नियत तिथि बीत जाने के बाद भी अन्य राज्यों के अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा बिना अर्धदंड के मिश्रित शुल्क भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप 1.70 लाख रुपये के अर्धदंड का कम उद्ग्रहण हुआ।

(घ) 1993-94 और 1994-95 के बीच की अवधि के लिये बिना बकाया की वसूली किये, 776 मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क की वसूली की गयी। फलस्वरूप आरोप्य अर्धदंड के अलावा 68.55 लाख रुपये राशि के सरकारी राजस्व की हानि हुई। बकाया की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5.2  
8.

जाँच चौकियों/प्रवर्तन शाखाओं का अप्रभावी कामकाज-

राज्य में प्रवेश करनेवाले या इससे होकर गुजरनेवाले वाहनों पर आरोप्य कर, शुल्क और अर्धदंड की क्षति के राकथाम और निवारिणी के अभिप्राय से समीपवर्ती राज्यों के साथ बिहार को जोड़नेवाले अन्तर्राज्यीय मार्गों के प्रवेश बिन्दु पर राज्य सरकार ने 3 जाँच चौकियाँ (बहरागोहा, चिरकुण्डा और मोहनिया) स्थापित की हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन जाँच चौकियों पर पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारियों/उप-निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि इन जाँच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के मालिकों द्वारा किये गये अपराधों को संधानित करें।

3 जाँच चौकियों/प्रवर्तन के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न बातें उद्घटित हुईं:-

(क) जाँच चौकियाँ

(1) जाँच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के विवरणों को दर्शाने वाली सूचियाँ स्थापित नहीं की गयीं, की गयीं, जिसके कारण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र और राष्ट्रीय अनुबंधों के अधीन निर्मित अनुज्ञापत्रों पर परिष्कारित वाहनों की जाँच का पता नहीं चल सकता। उद्योग, इन जाँच चौकियों के आधारभूत व्यवस्थापन जैसे, वाहन विभाजक, अन्तरीक्षक या सीलिंग रोकने के लिये सीलिंग की व्यवस्था, तेल भंडार की स्थापना आदि की कमी थी।

पूर्य में राज्य में प्रवेश करने वाले प्रमुख राज मार्गों पर तदर्थ रूप से जाँच चौकियों की व्यवस्था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों की सेवा प्राप्त कर की गई थी जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। निगम द्वारा अपने कर्मियों के वापस लिये जाने के बाद अब सरकार द्वारा बी.ओ.टी. पद्धति से पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत जाँच चौकी स्थापित करने की योजना की स्वीकृति दी गई है।

विभाग द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम से संतुष्ट होते हुए समिति उत्तरवर्ती बिहार एवं उसके जिलों के संदर्भ में इस कठिनाई का निष्पत्त करती है।

(ii) सितम्बर 1995 से मार्च 1998 के दौरान जुमाने के रूप में उपग्रहित 5.84 लाख रुपये की राशि जमा नहीं की गयी तथा अगस्त से दिसम्बर 1994 की अवधि में 45.35 लाख रुपये का संग्रहण, जिसे बैंक में जमा किया हुआ गया, का सत्यापन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि चिस्कूटा जौच चौकी द्वारा जमा संबंधी समर्थक कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये।

(iii) कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण चिस्कूटा जौच चौकी पर सुबह 6 बजे से साय 6 बजे तक कार्य सम्पादन करने के लिये उपायुक्त, धनबाद ने आदेश दिया (अक्टूबर 1997) और रात में जौच चौकी से सहज संचालन के लिए पुलिस पहरदार तथा अधमरचना का बंदोबस्त करने के लिये रा.प.प्रा. से अनुरोध किया, किन्तु एक लिए रा.प.प्रा. द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया। तथापि, यह देखा गया कि अक्टूबर 1997 और उपरक बाद प्रति वाहन राजस्व में वृद्धि हुई।

(iv) उचित सुरक्षा, बीमा तथा लोहों के सन्दूक के बिना ही नकद का प्रबंधन होता था।

(v) जैसा कि परबरा 1996 में विरत रा.प.अ. के निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है, विनिर्धारक अधिकारियों के पास परिवहन प्राधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे।

(ख) प्रवर्तन

(i) राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 1995) प्रवर्तन अधिकारियों को जौच चौकी के कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन कार्य सम्पादन में सहायता करना है। किन्तु, यह देखा गया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा माहिनिया जौच चौकी के कर्मचारियों के कार्य सम्पादन में साप्ताहिक सहायता नहीं की गयी।

(ii) बिहार विनियम नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राप्ति की गयी राशि को सरकारी खाते में अक्टूबर जमा कर देनी चाहिये। प्रवर्तन शाखा, माहिनिया को विवरणियों की नमूना जौच में पता चला कि 37.77 लाख रुपये के राजस्व संग्रहण के विरुद्ध 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों द्वारा जून 1996 से मार्च 1997 के दौरान केवल 29.39 लाख रुपये ही भारतीय स्टेट बैंक, धनुआ में जमा किए गये, जिसके कारण शेष 8.38 लाख रुपये ही भारतीय स्टेट बैंक, धनुआ में जमा किये गये, जिसके कारण शेष 8.38 लाख रुपये अलेखापित रह गये। इस स्थिति में दुर्भिनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके उत्तर में कहा गया कि मामला सत्यापन के अधीन है।

5.2  
9 मीग. संग्रहण और अतिशेष पंजी तथा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी का संधारण नहीं होना-

राज्य मीग. वाहन नियम, 1989 के अधीन प्राधिकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारों को वाहन और अनुज्ञापत्र संबंधी विवरण संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को प्रेषित करना है। अन्य राज्यों से देय अंकित शूलत की दया समय वसूली पर निगरानी रखने के लिये अनुज्ञापत्र का विवरण दर्शाते हुए मीग, वसूली और अतिशेष (पं.व.अ.) पंजी का संधारण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त संग्रहित राज्य परिवहन प्राधिकार/ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ संघीय क्षेत्रों से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन की सूचना मिलने के बाद वाहन, अनुज्ञापत्र तथा प्राधिकार और अनुज्ञापत्रों की वैधता की अवधि का विवरण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी में अंकित करना है।

उपर्युक्त इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है साथ ही यह कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार में यह व्यवस्था वर्ष 1995 से ही कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की वृहत योजना जो बी.आं.टी. पद्धति से लागू की जा रही है, में सभी पंजीकों का स्वतः संधारण किया जाना संभव हो सकेगा।

विभागीय स्थापकरण के आखिरी में, प्राप्ति इस कर्मियों को उस्तावर्ती में दिखाने का संघर्ष में निष्पादित करता है।

यह देखा गया कि बिहार में वाहनों के परिचालन के लिए अन्य राज्यों द्वारा निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में संबंधित विवरण दर्शाते हुए रा.प.प्रा. द्वारा सी.व.अ. पंजी का संघाणन नहीं किया गया। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राज्य में कितने वाहन परिचालित हुए और कितना मिश्रित शुल्क देय था तथा कितना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी भी संघारित नहीं की गयी जिससे अनुज्ञापत्रों के विलम्ब प्राप्त मिश्रित शुल्क के बिलान में सुविधा होती।

5.2. अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को निष्पादन  
10

बिहार विनियम नियमावली के अनुसार सभी लन-देन बिना विलम्ब किये लेखा में लेना और लोक लेखा में जमा करना आवश्यक है। संबंधित राज्यों से देय मिश्रित शुल्क की वसूली का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये निर्गत अनुज्ञापत्रों के विलम्ब बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति आदि का अंकित करत हुए बैंक ड्राफ्ट की एक पंजी का संघारण अपेक्षित है। सरकार के निर्देशों (जून और नवम्बर 1978) के अनुसार रा.प.आ. को सूचित करत हुए भारतीय स्टेट बैंक, मन्चिवालय शाखा, पटना को गजम्ब की कुल प्राप्ति चालान के माध्यम से पटना मन्चिवालय कोषागार में मन्दाह के अंत में सरकार के उपयुक्त लेखाशीर्ष में जमा करना है। इसके अतिरिक्त रा.प. आ. के आदेश मार्च 1996 के अनुसार, अप्रैल में अखरी को अवधि में बैंकों में जमा राशि का भारतीय स्टेट बैंक मन्चिवालय शाखा, पटना में अंतरण इस तरह करना है कि पूर्ववर्ती महीने में जमा राशि का मबध है, इस 31 मार्च तक निश्चित रूप में अंतरित कर देना है ताकि एक विनियम वर्ष में जमा सकल राशि का अंतरण सरकार के लेखा में उसी विनियम वर्ष में हो जाय। राज्य में सभी संग्राहक बैंक शाखाओं का इसी प्रकार के निर्देशापरिष्ठा प्रतिबंधन कडिका 4.2.4. से प्रक्रिया में गंभीर दोष तथा न्यूनबन्धी गजम्ब के प्रभाव का उल्लेख किया गया था किन्तु ऐसी अनियमितताएँ अभी भी विद्यमान हैं जिनको जमा लेख का जा रही है।

क) प्राप्त बैंक ड्राफ्ट का लेखा

(i) बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति की तिथि प्राप्त राज्य का नाम जहाँ से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए और उनके निष्पादन की तिथि का दर्शाते हुए कोई बैंक ड्राफ्ट मबधों का एक नियत कालिक विवरणो, प्रतिबन्धन निर्धारित नहीं किया। इसके अभाव में, प्राप्त ड्राफ्ट को मछ्या और बैंक में वास्तविक जमा का पता नहीं चला। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति और जमा में संबंधित आंतरिक नियंत्रक तंत्र का नितान अभाव था।

(ii) 1978 और 99 का लेख प्राप्त मिश्रित शुल्क के कालबाधित 45139 डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें 941.52 लाख रुपय अन्तर्गता थे, 12 में 204 महीने के विलम्ब से 1992-93 में 1997-98 को अवधि में बैंकों में जमा किये गये। अधिलेख पर ऐसा कोई मूचना उपलब्ध नहीं थी जिससे सरकारी खाते में उक्त राशि के जमा होने का पता चलें जून 1998। विभाग ने बताया कि मामलों की जांच की जायगी।

ख) संग्राहक बैंक

पटना में 27 बैंक हैं जहाँ अन्य राज्यों/क्ष.प.प्रा. में प्राप्त मिश्रित शुल्क में नबन्धित बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाते हैं। 25 बैंक में 31 मार्च 1998 का 522.22 लाख रुपय का अंत अतिशय था

अन्तर्गतीय कर/ शुल्क की व्यवस्था विभागीय स्पष्टीकरण के को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु भारत आलाक में समिति इस सरकार के स्तर पर गठित परिवहन कडिका का उल्लेख है। विकास परिषद की बैठकों में भी ऐसी चर्चाएँ हुई हैं तथा जोनल किलियॉगिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि की राह प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सकें।

परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कुछ बैंकों से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों में इस राज्य का देय कर/ शुल्क की राशि मगहित कर अधिलेख राज्य के खाता में इस्तेमालित करने की व्यवस्था के मबध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इन व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाते हैं तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम में राज्य का देय कर, शुल्क को विलम्ब में प्राप्ति कर राशि की प्राप्ति, स्टेट बैंक ड्राफ्ट को प्राप्ति आद को समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती हैं।

